न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज फर्रूखाबाद

वाद स० ७४३/१६

२५/०९/१६(रविवार)

२६/०९/१६(सोमवार)

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत हैं। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलवी पर सुना गया ।

सक्षेप मे परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र मे कथन किया है कि परिवादिनी का विवाह आज से करीब सात वर्ष पूर्व जितेन्द्र के साथ हुआ था। उसके माता पिता ने काफी दान दहेज दिया था। परिवादिनी का पति एवं उसकी मां रेशमा देवी दिये गये दान दहेज से सन्तुष्ट नही थे और आये दिन अतिरिक्त दहेज मे एक सोने की जंजीर व बीस हजार रूपये कारोबार हेतु मांग करने लगें। परिवादिनी द्वारा असमर्थता जताने पर मार पीट करते थे। इसी बीच परिवादिनी के २ बच्चे उत्पन्न हुऐ तथा परिवादिनी को करीब एक माह पहले मार पीट कर घर से निकाल दिया और दहेज की खातिर शारीरिक व मानसिंक रूप से प्रताडित करने लगें। तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते थें। दिनांक ०४/०६/१६ को समय दस बजे दिन जितेन्द्र व उसकी मां रेशमा देवी चचिया ससुर के यह आये और गाली गलौज करने लगे विरोध करने पर लात घुसो से घर के अन्दर मारा पीटा शोर गुल पर मोहल्ले के लोग आ गये जिन्होने घटना देखी व बचाया। परिवादिनी घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने गया तो रिपोर्ट नही लिखी गयी तब पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया फिर भी कार्यवाही नही हुई तब यह वाद दायर किया। अतः अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित करने की याचना की ।

परिवादिनी के वयान अर्न्तगत धारा २०० द०प्र०स० व साक्षीगण पी०डब्लू०१ उमाशंकर ,पी०डब्लू२ रामनिवास के वयान अर्न्तगत धारा२०२ द०प्र०स० लिखे गये ।

परिवादिनी ने अपने कथन मे पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की कार्बन प्रति व डाक रशीद दाखिल किये गये हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

परिवादिनी ने अपने वयान अर्न्तगत धारा २०० द०प्र०स मे कथन कि परिवादिनी का विवाह आज से करीब सात वर्ष पूर्व जितेन्द्र के साथ हुआ था। उसके माता पिता ने काफी दान दहेज दिया था। परिवादिनी का पति एवं उसकी मां रेशमा देवी दिये गये दान दहेज से सन्तुष्ट नही थे और आये दिन अतिरिक्त दहेज मे एक सोने की जंजीर व बीस हजार रूपये कारोबार हेतु मांग करने लगें। परिवादिनी द्वारा असमर्थता जताने पर मार पीट करते थे। इसी बीच परिवादिनी के २ बच्चे उत्पन्न हुऐ तथा परिवादिनी को करीब एक माह पहले मार पीट कर घर से निकाल दिया और दहेज की खातिर शारीरिक व मानसिंक रूप से प्रताडित करने लगें। तथा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते थें। दिनांक ०४/०६/१६ को समय दस बजे दिन जितेन्द्र व उसकी मां रेशमा देवी चचिया ससुर के घर पर रह रही हुं मेरे ससुराल वाले चचिया ससुर के घर पर आकर भला बुरा वोल रहें थे। मैने कहां मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो तो बोले बिना दहेज के तू कदम भी मत रखना।

साक्षीगण पी०डब्लू०१ पी०डब्लू०२ ने अपने वयानो मे परिवाद का समर्थन किया हैं।

पत्राबली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण जितेन्द्र,रेशमादेवी को धारा ४९८ए,३२३, ५०४,५०६,४५२भा०द०स० ३/४डी०पी०एक्ट के अर्न्तगत परिभाषित अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाता हैं।अतः अभियुक्तगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्तगण जितेन्द्र,रेशमादेवी को धारा ४९८ए,३२३,५०४,५०६,४५२भा०द०स० ३/४डी०पी० एक्ट के अर्न्तगत जरिये समन दिनांक १५/१०/२०१६ के लिये तलब किया जाता हैं। परिवादी गवाहान लिस्ट दाखिल कर आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन में करे ।

जे० एम० कायमगंज